

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 53

सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

तेलंगाना को जारी की गई केंद्रीय निधि और कर संग्रह

53. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक तेलंगाना राज्य सरकार को जारी की गई कुल धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए कर अंतरण, सहायता अनुदान और केंद्रीय हिस्सेदारी में उक्त निधियों का विशिष्ट विभाजन किस प्रकार है; और
- (ग) उक्त अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा वर्ष-वार प्रत्यक्ष कर और माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी+आईजीएसटी) के रूप में तेलंगाना से एकत्र की गई कुल राशि कितनी है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री  
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): केंद्र सरकार तेलंगाना सरकार सहित, सभी राज्य सरकारों को केंद्रीय करों और शुल्कों के विभाज्य पूल से कर हस्तांतरण, केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान और अन्य अनुदान/ऋण/हस्तांतरण इत्यादि जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधियां प्रदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक तेलंगाना को जारी की गई धनराशि का वर्षवार विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है -

करोड़ रुपये में

योजना का प्रकार	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	कुल
कर हस्तांतरण	15987.59	12691.62	18720.54	19668.15	23742.04	27050.25	117860.19
केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम	14446.47	20778.65	21086.50	25830.61	22811.45	17595.39	122549.08
केंद्र प्रायोजित स्कीम	12299.35	14540.60	12753.72	13093.87	13890.81	14928.02	81506.38
स्थापना व्यय	22.50	13.77	25.91	35.58	29.55	47.54	174.84
वित्त आयोग अनुदान	3219.03	3134.57	1850.93	3359.39	2924.42	1631.48	16119.82
अन्य केंद्रीय व्यय	1004.00	980.10	1088.60	1461.83	1762.92	1627.46	7924.91
अन्य अनुदान/ऋण/हस्तांतरण	2619.64	8517.72	7035.85	6618.97	2624.79	3533.00	30949.98
<b>कुल</b>	<b>48872.95</b>	<b>60590.46</b>	<b>62562.05</b>	<b>70068.40</b>	<b>67785.97</b>	<b>66295.36</b>	<b>376175.19</b>

नोट: इन आंकड़ों में राज्य के कोषागार के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशि शामिल है।

(ग): केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक प्रत्यक्ष कर और माल और सेवा कर (सीजीएसटी+ आईजीएसटी) के रूप में एकत्र की गई राशि, वर्षवार नीचे तालिका में दी गई है -

करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	आईजीएसटी (सकल)	सीजीएसटी (सकल)	कुल
2019-20	14,045.81	10,936	9,406	34,388
2020-21	15,853.93	10,567	8,822	35,243
2021-22	27,184.95	13,238	10,930	51,353
2022-23	35,433.56	15,632	12,842	63,908
2023-24	84,439.24	17,868	15,513	1,17,820
2024-25	97,860.86*	18,454	16,893	1,33,208
<b>कुल</b>	<b>2,74,818.35</b>	<b>86,695</b>	<b>74,406</b>	<b>4,35,919</b>

\* 2024-25 के लिए प्रत्यक्ष करों के आंकड़े अनंतिम हैं।

\*\*\*\*\*